भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2006

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में मध्यम आय वर्ग के लिए सीएलएसएस

†2006. डॉ. रानी श्रीकुमार:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान तमिलनाडु में मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के लिए ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के अंतर्गत प्राप्त तथा स्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या कितनी रही है और राज्य में अब तक वितरित की गई कुल राजसहायता राशि कितनी है;

(ख) देश भर में राजसहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या की तुलना में, मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों का, विशेष रूप से तमिलनाडु की स्थिति की तुलना में, राज्य-वार अनुपात क्या है;

(ग) तमिलनाडु से पात्र व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों को अस्वीकार किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं और शहरी एवं ग्रामीण-शहरी संक्रमण क्षेत्रों में आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पात्र परिवारों को इस योजना के बारे में जानकारी देने हेतु तमिलनाडु सरकार द्वारा अब तक चलाए गए जन-जागरूकता अभियानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तमिलनाडु में योजना की पहुँच बढ़ाने तथा आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "इन-सीटू" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

पीएमएवाई-यू का सीएलएसएस घटक राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) के माध्यम से

एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित किया गया था। एमआईजी के लिए सीएलएसएस दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हो गया और ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गया। ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों द्वारा बैंकों और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। उचित जांच-पड़ताल के बाद, तमिलनाडु सहित देश भर में प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) द्वारा ब्याज सब्सिडी जारी की गई है।

सीएलएसएस घटक की योजना अवधि के दौरान, देश भर में इस योजना के तहत 25,04,220 लाभार्थियों को कुल 58,868.4 करोड़ रूपये की ब्याज सब्सिडी प्रदान की गई है। तमिलनाडु राज्य में, सीएलएसएस के अंतर्गत 1,20,114 लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी के रूप में 2,675.03 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है। देश भर में सीएलएसएस के अंतर्गत कुल 6,08,317 लाभार्थी एमआईजी श्रेणी के हैं, जिनमें से 42,629 लाभार्थी तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु सहित देश भर में सीएलएसएस का लाभ उठाने वाले एमआईजी लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। चूँकि एमआईजी के लिए सीएलएसएस केवल 31.03.2021 तक ही प्रभावी था, इसलिए 31.03.2021 के बाद कोई निधियां जारी नहीं की गई।

इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, तमिलनाडु सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने ऋण मेले आयोजित किए और योजना का लाभ उठाने में लाभार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) के साथ मासिक समीक्षा की। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पहचाने गए पात्र लाभार्थियों को अनुमोदन और दस्तावेज आदि प्राप्त करने में सुविधा प्रदान की। लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता और लाभ पहुँचाने को सुकर बनाने के लिए, सभी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) ने ऋण और ब्याज सब्सिडी के सुचारू संवितरण के लिए अपनी-अपनी शाखाओं में संपर्क ब्यौरे के साथ योजना का विवरण अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया था।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पाँच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने हेतु देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 को चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदकों द्वारा आवेदन जमा करना, सत्यापन, जियो-टैगिंग, संलग्नक, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना, लाभार्थियों की सूची तैयार करना, केंद्रीय

सहायता/सब्सिडी की विभिन्न किस्तों का जारी होना, अन्य कार्यों में इसका उपयोग आदि सभी गतिविधियाँ एकीकृत वेब पोर्टल (यूडब्ल्यूपी) के माध्यम से की जाती हैं। एमआईएस के उपयोग से पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ती है। यह डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी, सटीक लाभार्थी प्रबंधन और समय पर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह सक्रिय रूप से रिकोर्ड को सत्यापित और अद्यतन करके दोहराव और लीकेज को दूर करने में भी मदद करता है। यह राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों /शहरी स्थानीय निकायों के बीच तेज़ निधि संवितरण और बेहतर समन्वय में भी सहायता प्रदान करता है। आईएसएस के संभावित लाभार्थी https://pmay-urban.gov.in पर उपलब्ध एकीकृत वेब-पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं और अपने आवेदन का पता लगा सकते हैं।

*****

दिनांक **31-07-2025** को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **2006** के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत तमिलनाडु सहित देश भर में सीएलएसएस का लाभ उठाने वाले एमआईजी लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लाभार्थियों की संख्या	जारी केंद्रीय सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	29,122	611.06
2		बिहार	7,297	150.06
3		छत्तीसगढ़	7,627	153.37
4		गोवा	1,581	35.04
5		गुजरात	63,375	1,366.42
6		हरियाणा	18,312	371.34
7		हिमाचल प्रदेश	807	16.99
8		झारखंड	7,649	149.29
9		कर्नाटक	57,480	1,227.05
10		केरल	5,742	121.89
11		मध्य प्रदेश	22,839	461.62
12		महाराष्ट्र	1,34,214	2,943.26
13		ओडिशा	5,867	117.30
14		पंजाब	12,755	269.33
15		राजस्थान	29,043	592.86
16		तमिलनाडु	42,629	882.39
17		तेलंगाना	48,126	1,047.16
18		उत्तर प्रदेश	62,733	1,298.73
19		उत्तराखंड	5,617	114.45
20		पश्चिम बंगाल	26,731	562.93
उप-योग (राज्य):-			**5,89,546**	**12,492.55**
21	उत्तर पूर्वी राज्य	अरुणाचल प्रदेश	42	0.92
22		असम	1,837	36.50
23		मणिपुर	28	0.51
24		मेघालय	36	0.59
25		मिजोरम	139	2.12
26		नागालैंड	13	0.21

27		सिक्किम	47	0.96
28		त्रिपुरा	1,036	19.86
उप-योग (उत्तर पूर्वी राज्य**) :-**			**3,178**	**61.67**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	0.22
30		चंडीगढ़	608	13.19
31		दादरा और नगर हवेली एवं दमण और दीव	582	11.85
32		दिल्ली	13,083	279.70
33		जम्मू और कश्मीर	618	11.66
34		लद्दाख	6	0.07
35		लक्षद्वीप	-	-
36		पुडुचेरी	686	13.71
उप-योग (यूटी):-			**15,593**	**330.39**
कुल - योग:-			**6,08,317**	**12,884.61**